

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी खगड़िया द्वारा संश्लोक सं०-IV-22/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 02 पर दिनांक 09.02.2018 का पारित आदेश के आलोक में निम्नांकित शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कॉलम 05 में अंकित स्थान पर संबंधित शस्त्र को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० एवं धारित शस्त्र का प्रकार	शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	आवेदक का नाम एवं पता	आर्म्स जमा का स्थान	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	अनुज्ञप्ति सं०-08/1988 (खगड़िया थाना) एक दोनाली बन्दुक संख्या-73	श्री चन्द्रदेव प्रसाद, पिता-स्व० ब्रह्मदेव प्रसाद, साकिन-विद्याधार, थाना+जिला-खगड़िया	श्री चन्द्रदेव प्रसाद, पिता-स्व० ब्रह्मदेव प्रसाद, साकिन-विद्याधार, थाना+जिला-खगड़िया	खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करने हेतु	वरावर विमार रद्द तथा वृद्ध हो जाने के कारण
02.	अनुज्ञप्ति सं०-33/1991, (खगड़िया थाना), एक दोनाली बन्दुक सं०-15484	डॉ० शंकर लाल तुल्सयान, पे०-पशुपतिनाथ तुल्सयान, साकिन-विश्वनाथगंज, थाना+जिला-खगड़िया	डॉ० शंकर लाल तुल्सयान, पे०-पशुपतिनाथ तुल्सयान, साकिन-विश्वनाथगंज, थाना+जिला-खगड़िया	खगड़िया थाना के माल खाना में जमा करने हेतु	वरावर विमार रद्द तथा वृद्ध हो जाने के कारण
03	अनुज्ञप्ति सं०-10/1968 (खगड़िया थाना) एक दोनाली बन्दुक सं०-6118	ब्रह्मदेव प्रसाद साह, पे०-अयोध्या साह, साकिन-हाजीपुर, थाना+जिला-खगड़िया	अशोक कुमार, पे०-ब्रह्मदेव प्रसाद साह, साकिन-हाजीपुर, वार्ड नं०-18, थाना+जिला-खगड़िया	डिलक्स आर्म्स को०, विश्वनाथगंज, शिवाला रोड, खगड़िया में जमा करने हेतु	मृत्यु दिनांक 11.01.2018
04.	अनुज्ञप्ति सं०-06/2008 (खगड़िया थाना) एक दोनाली बन्दुक संख्या-6426 A/2	शंकर कुमार, पे०-स्व० योगेन्द्र प्रसाद यादव, साकिन-नन्दलाल पुर, थाना-मुफसिल, जिला-मुंगेर	प्रबंधक, M/s A-ONE GUN HOUSE, Arms & Ammunition Dealer, Supreme Market (Azad Chowk) Munger	पूर्व से जमा है।	मृत्यु दिनांक 08.10.2017
05	अनुज्ञप्ति सं०-52/2008, (खगड़िया थाना) एक राईफल सं०-AB 09-11684	शंकर कुमार, पे०-स्व० योगेन्द्र प्रसाद यादव, साकिन-हाजीपुर, वार्ड नं०-19, थाना+जिला-खगड़िया	प्रबंधक, M/s A-ONE GUN HOUSE, Arms & Ammunition Dealer, Supreme Market (Azad Chowk) Munger	पूर्व से जमा है।	मृत्यु दिनांक 08.10.2017

5/2/18

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापक IV-22/2018.164/जी0, दिनांक 15.02.18

- प्रतिलिपि : सभी संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। क्रमांक 1 से 3 के आवेदक को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को रद्द करने के लिए कार्यालय में जमा करें।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र को मालखाना में जमा कर सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : डीलक्स आर्म्स कौ०, आर्म्स एण्ड अम्पुनेशन डीलर, विश्वनाथगंज, शिवाला रोड, खगडिया को सूचनार्थ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि क्रमांक (3) के शस्त्र को जमा करते हुए सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगडिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगडिया को बेंबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी का ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगडिया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगडिया।